न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या– 49/2019 दायर दिनांकः–24.12.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रसीद पुत्र शफी खां, जाति–मुसलमान, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
2. जेठमल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
3. नाबालिग सजनादेवी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
4. नाबालिग बाउदेवी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
5. नाबालिग नेराज पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
6. नाबालिग जितेन्द्र पुत्र लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
7. नाबालिग छोटी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
8. केलम पत्नि छगनलाल, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
9. घनश्याम पुत्र हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
10. झनकारी पत्नि हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
11. बंशी पुत्र हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
12. सुरेश पुत्र छगनलाल, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
13. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत पनेर, तह.–रुपनगढ।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 एवं धारा 111, 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

निर्णय

दिनांक–26.07.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम पनेर, पटवार हल्का पनेर तहसील रुपनगढ जिला अजमेर का स्थायी निवासी है। वादी की एकल कब्जे काश्त, खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पनेर पटवार हल्का पनेर तहसील रुपनगढ जिला अजमेर के खाता संख्या नया 33 के खसरा संख्या 709/257 रकबा 0.8090 है0 है जिसमें वादी का संपूर्ण हिस्सा है। इस [illegible] पर वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से किसी अन्य का कोई हक, हिस्सा या दखल नही है। वादी खातेदारी की कृषि भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि की [illegible] के बावजूद [illegible] पड़ोसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न हो इसलिए वादी की खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। वादी निबाध रुप से अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी को अपने खेत की बुवाई, जुताई, निराई, गुड़ाई तथा नींव मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा, रुकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढी करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.29 13:11:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। किसी भी प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। तद्नुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 709/257 रकबा 0.8090 है0 भूमि की पडोसी खातेदारों को सूचना उपरान्त उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी शुल्क रुपये 100.00 अक्षरे एक सौ रुपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को पाबंद किया जाता है कि वे वादी के काश्त करने में बाधा नहीं पहुंचाये। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.29 13:11:45 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 49/2019

1. रसीद पुत्र शफी खां, जाति–मुसलमान, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
2. जेठमल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
3. नाबालिग सजनादेवी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
4. नाबालिग बाउदेवी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
5. नाबालिग नेराज पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
6. नाबालिग जितेन्द्र पुत्र लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
7. नाबालिग छोटी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
8. केलम पत्नि छगनलाल, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
9. घनश्याम पुत्र हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
10. झनकारी पत्नि हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
11. बंशी पुत्र हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
12. सुरेश पुत्र छगनलाल, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
13. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत पनेर, तह.–रुपनगढ।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 एवं धारा 111, 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 709/257 रकबा 0.8090 है0 भूमि की पड़ोसी खातेदारों को सूचना उपरान्त उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी शुल्क रुपये 100.00 अक्षरे एक सौ रुपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को पाबंद किया जाता है कि वे वादी के काश्त करने में बाधा नहीं पहुंचायें।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.[illegible] जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.29 13:11:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)